रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265886
CG-DL-E-02092025-265886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3893]	**नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947**
No. 3893]	**NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

का.आ. 3998(अ).— केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का.आ. 590, तारीख 19 अप्रैल, 1958, का.आ. 591, तारीख 19 अप्रैल, 1958, सा.का.नि. 950, तारीख 12 अगस्त, 1960, सा.का.नि. 580, तारीख 3 अप्रैल, 1976, सा.का.नि. 528(अ) तारीख 3 मई, 1988, सा.का.नि. 529(अ), तारीख 3 मई, 1988, सा.का.नि. 530(अ), तारीख 3 मई, 1988, सा.का.नि. 605(अ), तारीख 13 जुलाई, 2000, का.आ. 242(अ), तारीख 20 मार्च, 2001 और का.आ. 842(अ), तारीख 30 अगस्त, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम, आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 और आप्रवास और विदेशियों विषयक आदेश, 2025 के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली या निष्पादित शक्तियां और कृत्य, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उपदर्शित सीमा तक स्तंभ (2) में उल्लिखित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और प्राधिकारियों द्वारा भी प्रयोग या निष्पादित किए जाएंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात:-

(i) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी विदेशी का प्रवेश या निकास केवल निर्दिष्ट आप्रवास चौकी के माध्यम से होगा;

(ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या प्राधिकारियों द्वारा जारी किसी आदेश को उपांतरित या रद्द कर सकेगी; और

(iii) ऐसी शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग में, उक्त प्राधिकारी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी करे।

सारणी

क्रम संख्या	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियों और कृत्यों की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।	(i) आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 7 की उपधारा (2), धारा 13 और धारा 29; और (ii) आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 के नियम 10 का उप-नियम (1)।
2.	आयुक्त, आप्रवास ब्यूरो।	(i) आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 7 की उपधारा (2), धारा 13 और 29; (ii) आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 के नियम 10 का उप-नियम (1); और (iii) आप्रवास और विदेशियों विषयक आदेश, 2025 [पैरा 9(3), 10, 11, 16,17,18,19,20 और 21 को छोड़ कर]।
3.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।	आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 7 की उपधारा (2) और धारा 29।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 25022/08/2025-एफ.I]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2025

S.O. 3998(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025) and in supersession of the notifications of the Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* number S.O. 590, dated the 19th April, 1958, S.O. 591, dated the 19th April, 1958, G.S.R. 950, dated the 12th August, 1960, G.S.R. 580, dated the 3rd April, 1976, G.S.R. 528 (E), dated the 3rd May, 1988, G.S.R. 529 (E), dated the 3rd May, 1988, G.S.R. 530(E), dated the 3rd May, 1988, G.S.R. 605(E), dated the 13th July, 2000, S.O. 242(E), dated the 20th March, 2001 and S.O.842 (E), dated the 30th August, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the powers and functions exercised or performed by it under the said Act, the Immigration and Foreigners Rules, 2025 and the Immigration and Foreigners Order, 2025, shall also be exercised or performed by the State Governments, Union territory Administrations and authorities mentioned in column (2) to the extent indicated in column (3) of the Table below, subject to the following conditions, namely:—

(i) the entry or exit of a foreigner shall be only through the designated immigration post while exercising powers under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 7 of the Act;

(ii) the Central Government may modify or cancel any order issued by the State Government or Union territory Administration or authorities; and

(iii) in the exercise of such powers and functions, the said authorities shall comply with such general or special directions, as the Central Government may issue from time to time.

TABLE

Sl. No.	**State Governments or Union territory Administrations or Authorities**	**Extent of powers and functions delegated**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Governments of all States and Union territories as mentioned in First Schedule to the Constitution.	(i) Sub-section (2) of section 7 and sections 13 and 29 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025); and (ii) sub-rule (1) of rule 10 of the Immigration and Foreigners Rules, 2025.
2.	Commissioner, Bureau of Immigration.	(i) Sub-section (2) of section 7, sections 13 and 29 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025); (ii) sub-rule (1) of rule 10 of the Immigration and Foreigners Rules, 2025; and (iii) the Immigration and Foreigners Order, 2025 [Other than paragraphs 9(3), 10, 11, 16,17,18,19,20 and 21].
3.	Foreigners Regional Registration Officers and Foreigners Registration Officers.	Sub-section (2) of section 7 and section 29 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025).

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 25022/08/2025-F.I]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.02 15:14:43 +05'30'